आदेश की कम सं० एवं तारीख

## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी दिप्पणी तारीख

## न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

वाद संख्या-S.A.R.- 05/2017-2018

धारा—छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा—71 (A)

घासीराम मुण्डा वगैरह......आवेदक बनाम ।

संतोष कुमार महतो.....विपक्षी।

## अदेश

31.10.2020

and man you saled it got being the figure it waster to प्रस्तुत वाद में आवेदकगण—1. घासीराम मुण्डा वो 2. छुटू मुण्डा वो 3. रंजीत मुण्डा, तीनों पे०—स्व० बलदेव मुण्डा, वो ४. कामदेव मुण्डा वो ५. ससोदेव मुण्डा दोनों पे०-स्व० जीतु मुण्डा, 6. चामु मुण्डा वो 7. बुकम मुण्डा दोनों पे०-स्व० राय मुण्डा उर्फ लीलमोहन मुण्डा सभी सा०-नीमडीह, डाकखाना-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया गया कि विपक्षी-संतोष कुमार महतो, पे०-स्व० माधव महतो, जाति-महतो, सा०-नीमडीह, थाना-सोनाहातु जिला-राँची के द्वारा निम्नलिखित भूमि को छल-प्रपंज वो नाजायज तरीके से कब्जा किया गया है। आवेदकराण के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, धारा-71 (A) के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर भूमि वापस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा थाना /थाना सं० खाता सं० खेसरा सं० रकवा

सेरेंगहातु सोनाहातु / 65 119 1213 1.33 एकड़

उ०-नीज आवेदकगण, द०-नीज आवेदकगण, पू०-अशोक भगत, प०-नीज आवेदकगण।

उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, साथ हीं अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। वाद में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए बहस को सुना।

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के दौरान कहते हैं कि आर० एस० खाता सं०—119 मो० सुलोचना पति—नन्दो मुण्डारी वो चामु मुण्डारी पे०-लुकी मुण्डारी, जाति-मुण्डारी सकीन देह नीमडीह वहीसा बराबर के नाम से दर्ज है। जो कि आवेदकणों के पूर्वज हैं। फलस्वरूप आवेदकगण उपरोक्त भूमि के मालिक होकर अंचल कार्यालय, सोनाहातु से लगातार लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। विपक्षी सदस्य ने अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि पर कब्जा किए हैं जो कि छो०का०अधि० की धारा-46 का उल्लंघन है।

आवेदक की ओर से अपने समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया:-

- 1) SAR 214/01-02 का नोटिस का छायाप्रति।
- 2) जीतु मुण्डा वो अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा किया गया नोटिस का छायाप्रति।
  - 3) वंशावली का छायाप्रति।
  - 4) खतियान (खाता संख्या–12) का छायाप्रति।
  - 5) खाता संख्या–119 का छायाप्रति।
  - 6) खाता संख्या–13 का छायाप्रति।
  - 7) वाद संख्या–SAR 258/1980 का आदेश का छायाप्रति। 🎉 🔠 🕫

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान कहते हैं कि विवादित भूमि मौजा—सेरेंगहातु, खाता सं०—119, प्लॉट सं०—1213, कुल रकवा—1.33 एकड़ मध्ये 33 डी० भूमि को रैयत चामू मुण्डा ने सन 29.03.1947 ई० को मो० मिनी देवी पिता—बुधराम मुण्डा को बिक्री रजिस्ट्री कर दिया। अब वर्णित भूमि का कुल रकवा-1.00 एकड़ बचा, चूँकि चामु मुण्डा नावल्द था इसलिए जमीनदार ठाकुर दुर्गा चरण सिंह पिता रीदय सिंह को इस्तीफा रजिस्ट्री सन 18.06.1953 ई० में मोबलिक 800 /— (आठ सौ रूपया) सलामी देकर जमीनदार को वापस कर दिया। उक्त मुकदमा एक एकड़ का होना चाहिए था जो कि 1.33 एकड़ का है जो गलत है साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया चौहदी भी गलत है जो कि इस प्रकार है:--उ०-परती कदीम, द०-परती कदीम, पू०-राजकिशोर भगत, प०-काली मुण्डा। प्रथम पक्ष की ओर से आवेदन में वंशावली नहीं दर्शाया गया है क्योंकि चामु मुण्डा नावल्द था। जमीनदार ठाकुर दुर्गा चरण सिंह पिता-स्व० रीदय सिंह ने बाकी बचे एक एकड़ भूमि को 1200 / - (बारह सौ रूपया) सलामी लेकर दिनांक-20.06.1953 ई० को सेख गुलाम रसूल वल्द दुली मियां को बंदोबस्ती रैयत बैठाया। ठाकुर दुर्गा चरण सिंह जमीनदार थे इसलिए उस समय अपने गांव में किसी भी जाति को बैठाने का अधिकार था। शेख गुलाम रसूल वल्द दुली मियां उक्त भूमि पर दखलकार हुए एवं 10—15 वर्षों तक जोत कोड़ करने के बाद सन 08.03.1968 ई० को क्रमशः तीन व्यक्तियों को बिक्री रजिस्ट्री किया जो निम्न प्रकार है–25 डी० माधव महतो पे० स्व० झरिया महतो, 35 डी० संतोष कुमार महतो पिता-स्व० माधव महतो, 40 डी० रमोला देवी, पति-श्री संतोष कुमार महतो सभी सा०-नीमडीह, थाना सोनाहातु, जिला-राँची। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा दायर किया जो। अतः यह वाद खारिज करने की कृपा की जाए।

विपक्षी की ओर से अपने समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया:-

- 1) न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के SAR 260/80-81, SAR 262/80-81 पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति।
- 2) निबंधित डीड सं०—3261 दिनांक—08.03.1968, एवं निबंधित डीड सं०—3260 दिनांक—08.03.1968 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति।
- 3) निबंधित स्तीफानामा दिनांक-18.06.1953 की छायाप्रति।
- 4) रैयती बंदोबस्ती दिनांक—20.06.1953 की छायाप्रति। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक—548(ii) दिनांक—21.12.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि—
- 1. सर्वे खितयान—मौजा सेरेंगहातु खाता नंo—119, प्लॉट नंo—1213, रकवा—1.33 एकड़ भूमि शीलोचना जौजे नन्दो मुण्डारी वो चामु मुण्डारी वल्द लुकी मुण्डारी कौम मुण्डारी दर्ज है।
- 2. भूमि की जमाबंदी वर्ष सहित:-
  - (i) राजस्व पंजी ।। में खाता नं०–119, प्लॉट नं०–1213, रकवा–0.58 ए० भूमि पंजी ।। के भाग सं०–2 पृष्ठ सं०–17 में माधव महतो पिता झरिया महतो के नाम से दाखिल खारिज वाद सं०–63 / 1968–69 द्वारा जमाबंदी कायम है ।
  - (ii) राजस्व पंजी ।। में खाता नंo-119, प्लॉट नंo-1213, रकवा-0.40 ए० भूमि पंजी ।। के भाग संo-2 पृष्ठ संo-18 में श्रीमती रमोला देवी पति संतोष कुमार महतों के नाम से दाखिल खारिज वाद संo-62/1968-69 द्वारा जमाबंदी कायम है।
  - (iii) राजस्व पंजी ।। में खाता नं०–119, प्लॉट नं०–1213, रकवा–0.35 ए० भूमि पंजी ।। के भाग सं०–2 पृष्ठ सं०–19 में संतोष कुमार महतो पिता माधव महतो के नाम से दाखिल खारिज वाद सं०–61 / 1968–69 द्वारा जमाबंदी कायम है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग टिप्पणी तारीर
	3. वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि की प्रकृति दोन । है।	सहित
	4. प्रश्नगत भूमि पर वास्तविक दखल कब्जा पंजी।। में रैयत का है।	
	5. दखल वर्ष 1968—69 से है।	
	6. प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार आदिवासी खाते का है पंजी।। रैयत गणे कुर्मी पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। दाखिल खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम है।	
	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तवेजों के परिशीलनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि विवादित भूमि के खतियानी रैयत चामु मुण्डारी नावल्द स्वर्गवास हो गए। आवेदकगण विवादित भूमि के खतियानी रैयत के वंशज नहीं हैं।	
	अतः आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए)	
	के तहत के दायर भू—वापसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता,	
	बुण्डू(राँची)।	